भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1219

उत्तर देने की तारीख 11.12.2023

तमिलनाडु में विरासत शिल्प और कला परम्पराएं

1219. श्री पी.वेलुसामी :

श्री एस. आर. पार्थिबन :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य की विरासत शिल्प और कला परंपराओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई है;

(घ) क्या महामारी के दौरान कारीगरों/शिल्पकारों की आजीविका की रक्षा के लिए कोई कदम उठाए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य की कला परंपराओं और शिल्प कलाओं सहित लोक कला, सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत शिल्प के विभिन्न रूपों को संवर्धित, संरक्षित और परिरक्षित करने के लिए देश में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। तमिलनाडु राज्य, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एसजेडसीसी), तंजावुर का सदस्य है। ये जेडसीसी देश में नियमित आधार पर विभिन्न

सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसके लिए इन्हें वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां जारी नहीं की जाती है। इन जेडसीसी को विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान किया गया सहायता अनुदान निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
i.	2020-21	4009.38
ii.	2021-22	5881.48
iii.	2022-23	5810.00

भारतीय संस्कृति, कला परंपराओं और विरासत शिल्पों के संबंध में लोगों में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, संस्कृति मंत्रालय देश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) आयोजित करता है जिनमें पूरे भारत से बड़ी संख्या में कलाकारों/कारीगरों/शिल्पकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में नवम्बर, 2015 से चौदह (14) राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किए हैं जिसमें वर्ष 2023 के दौरान कोटा, पुणे और दिल्ली में तीन क्षेत्रीय स्तर के आरएसएम का आयोजन शामिल है। ये जेडसीसी देश के दूरस्थ क्षेत्रों में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम संचालित करते हैं ताकि जनता को विरासत शिल्पों सहित भारत की विभिन्न कला परंपराओं के संबंध में जानकारी दी जा सके।

तमिलनाडु राज्य की प्रामाणिक वस्त्र, शिल्प और वास्तुशिल्प परिसंपत्तियों के अनुसंधान और प्रलेखन कार्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन (एबीसीडी) ने कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान (संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन), चेन्नई के साथ सहयोग किया है ताकि बुनाई (पट्टू पीतांबरम), लकड़ी के ब्लॉक से छपाई (अच्चु-अडगम) और कलमकारी हस्त चित्रकला (व्रथपाणी) में डिजाइन इनक्यूबेशन को सुविधाजनक बनाया जा सके। कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान का लक्ष्य अपने बुनकरों, रंगरेजों और पारंपरिक वस्त्रों के डिजाइनरों की सहायता से तमिलनाडु के वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त प्रामाणिक पैटर्न/डिजाइन, बॉर्डर और जीवंत रंगों को पुन:प्रचलित करना है। इसके अलावा, एबीसीडी ने पिटलूम में बुने गए एक अनोखे सूती कालीन/दरी, जमक्कलम (रंगीन मोटे धागे) की बुनाई में डिजाइन इनक्यूबेशन की सुविधा के लिए भवानी, इरोड (तमिलनाडु) में सेंटर फॉर वीवर्स ऑफ द कुमारगुरु इंस्टीट्यूशंस के साथ सहयोग किया है। 'जमक्कलम परियोजना' का उद्देश्य तमिलनाडु के आकांक्षी बुनकरों को राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव प्रदान करते हुए नवोन्मेष और डिजाइन की संस्कृति का सृजन करना है।

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, केंद्रीय स्तर पर देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नोडल एजेंसी है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कारीगरों की सहायता के लिए, देश में 67 हस्तशिल्प सेवा केंद्र (एचएससी) हैं जिनमें तमिलनाडु राज्य में स्थित 04 एचएससी भी सम्मिलित हैं।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने तमिलनाडु राज्य सहित पूरे भारत में कारीगरों के लिए 72 शिल्प श्रेणियों की पहचान की है, जिनकी सूची **अनुलग्नक** पर दी गई है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार देश के युवाओं को अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक प्रमुख स्कीम भी कार्यान्वित करता है ताकि पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों सहित स्थानीय एवं ग्रामीण संस्कृति में सुधार लाया जा सके। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, हस्तशिल्प एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद (एचसीएसएससी) के तहत पारंपरिक कलाओं एवं शिल्पों की रोजगार दायित्वों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विविध रोजगार दायित्वों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को बांस की टोकरी बनाने वाले, बांस चटाई बुनकर, मोती पिरोने वाले कारीगर, कालीन बुनाई, नक्काशीकार, तरकशी सुनार, सजावटी कला पेंटर, स्कैचिंग और पेंटिंग कारीगर, हाथ से अगरबत्ती बनाने वाले, क्रोशिया लेस दर्जी, हाथ की कढ़ाई करने वाले आदि जैसे विभिन्न पारंपरिक रोजगार दायित्वों में प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण प्रदान किया गया है।

(घ) और (ड.) कोविड महामारी के दौरान कारीगरों को निरंतर आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" और "वृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास स्कीम (सीएचसीडीएस)" के अंतर्गत हस्तशिल्प कारीगरों को लाभान्वित किया गया। कारीगरों/शिल्पकारों को मिशन मोड में सभी लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ वर्चुअल बैठकें भी आयोजित की गईं। इसके अलावा, विकास आयुक्त (हस्तशल्पि) कार्यालय के साथ पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसियों से भी कारीगरों/शिल्पकारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

विगत तीन वर्षों के दौरान "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)" के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों की संख्या और निधियों का विवरण इस प्रकार है:

स्कीमें	कार्यक्रमों की संख्या	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
एनएचडीपी और सीएचसीडीएस	188	1404.04

*****

अनुलग्नक

'तमिलनाडु में विरासत शिल्प और कला परम्पराएं' के संबंध में दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1219 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

72 शिल्प श्रेणियां (विविध शिल्प श्रेणियों सहित) जिनके अंतर्गत हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं

क्र. सं.	शिल्प का नाम	क्र. सं.	शिल्प का नाम
1	कालीन और अन्य फर्श आवरण	37	लकड़ी (टर्निंग और लाख का काम)
2	कला धातु का सामान	38	कॉयर मरोड़ने की कला
3	लकड़ी के बर्तन	39	एपलिक
4	हाथ की छपाई वाले वस्त्र स्कार्फ	40	लेस
5	कशीदाकारी और क्रोशिया का सामान	41	स्क्रूपाइन
6	कला के सामान के रूप में शॉल	42	जूट शिल्प
7	जरी और जरी का सामान	43	कठपुतली
8	नकली आभूषण	44	लाख की चूडियाँ
9	आभूषण	45	चित्रकला
10	बेंत और बांस	46	पॉलीस्टोन
11	विविध	47	पेपर मैशे
12	मटके पर सजावटी काम	48	मोती शिल्प
13	बीदरी	49	वॉल हैंगिंग
14	रोगन कलाएं	50	मोमबत्ती
15	शंख	51	सिरेमिक का काम
16	गुडिया और खिलौने	52	माला बधी
17	फिलीग्री और चांदी के बर्तन	53	सीतल पट्‌टी
18	लोक चित्रकला	54	थेवा
19	फर्नीचर	55	अगरबत्ती
20	घास, पत्ती, ईख और रेशा	56	धान
21	सींग और हड्‌डी	57	क्रूवेल
22	हाथी दांत	58	ग्लास
23	चमड़ा (फुटवीयर)	59	मिथिला चित्रकला
24	चमड़ा (अन्य सामान)	60	सूखे फूल
25	धातु की आकृतियां (लोक)	61	तुली और सिरका
26	धातु की आकृतियां (क्लासिकल)	62	कौना

27	संगीत वाद्ययंत्र	63	कांच के मोती
28	कुम्भकारी और चिकनी मिट्टी की वस्तुएं	64	टाई और डाई
29	गलीचे और दरियां	65	फ्यूजन क्राफ्ट
30	पत्थर (नक्काशी)	66	मीनाकारी
31	पत्थर (जड़ना)	67	कपड़े पर चित्रकारी
32	टेराकोटा	68	तंजौर चित्रकला
33	रंगमंच, परिधान और कठपुतली	69	सुजनी
34	वस्त्र (हथकरघा)	70	सुनार
35	वस्त्र (हाथ की कशीदाकारी)	71	सांझी कला
36	लकड़ी (नक्काशी)	72	पतंग बनाने का काम

*****